ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
भूखण्ड संख्या–01, सैक्टर–के0पी0–04, ग्रेटर नौएडा सिटी
गौतम बुद्धनगर (उ0प्र0)

पत्रांक ग्रे0नो0/अ0मु0का0अ0/कार्मिक/2020/ 2864 8

दिनांकः 09.06.2020

कार्यालय–आदेश

कोविड–19 की महामारी से न केवल आम जनता को बचाये जाने हेतु अपितु ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण कार्यालय के सभी श्रेणी के अधिकारी/कार्मिकों को भी महामारी के प्रकोप से बचाये जाने हेतु प्राधिकरण परिसर में अभी जनसुनवाई का कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। उपर्युक्त के दृष्टिगत सभी विभागाध्यक्षगण को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक कार्यालय–दिवस में कार्यालय अवधि के दौरान विभागाध्यक्षगण यह सुनिश्चित करें कि Land Line फोन पर आने वाली प्रत्येक कॉल को अटेन्ड करने व E-Mail को नियमित रूप से निकालकर प्रस्तुत करने हेतु अपने पी0ए0 या अन्य किसी भिज्ञ कर्मचारी को नामित करें जिससे कोई कॉल/मेल मिस न हो एवं आपसे बात कराकर गुणवत्तापूर्ण तरीके से शत–प्रतिशत जवाब दिया जाना सुनिश्चित किया जाय, जिससे आम जनता को अपने प्रार्थना पत्र/शिकायती पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण में आने की आवश्यकता न पड़े। इस हेतु सभी विभागाध्यक्षगण के लैण्डलाइन व मेल आई डी मीडिया के विभिन्न माध्यमों से प्रसारित किया जा चुका है।

प्राधिकरण की सभी सेवाएँ व प्रार्थना–पत्र/शिकायती पत्रों की प्रस्तुति के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाय व आम जनता/आवण्टी/आवण्टन के इच्छुक आवेदकगण को भी प्रत्येक माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया जाय कि COVID-19 महामारी से आमजनता को बचाने के लिए प्राधिकरण ने ऑनलाइन के पोर्टल/वेबराइट/प्रत्येक विभागाध्यक्ष के E-Mail ID व उनके फोन नं. को क्रियाशील करके रखा गया है, जिस पर वे अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, यदि एक सप्ताह में समस्या का समाधान सन्तोषजनक नहीं होता है, तो आवेदक/शिकायतकर्ता प्राधिकरण की वेबसाइट से E-Mail ID व फोन नम्बर प्राप्त करके उसका पूर्ण उपयोग करते हुए सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से अपनी बात/पक्ष को रखने हेतु समय निर्धारित करा सकता है, विभागाध्यक्ष उसे एक समय व तिथि निर्धारित करके प्रातः 10 – 12 बजे के मध्य प्राधिकरण के एडमिन ब्लॉक के भूमितल पर स्थित लॉबी में सुनवाई करके समस्या का प्रत्येक दशा में गुणवत्तापूर्ण निदान कराना सुनिश्चित करेगा और आवेदक/शिकायतकर्ता को पूर्ण रूप से अपने उत्तर से सन्तुष्ट करेगा।

इसी के साथ यह भी व्यवस्था की जा रही है कि यदि कोई व्यक्ति इतनी ऑनलाइन सुविधा के उपलब्ध होने के बाद भी प्राधिकरण के द्वार पर प्रातः 10 – 12 बजे के मध्य आ जाता है, तो एसेट विभाग उसके आवेदन/शिकायती प्रार्थना–पत्र को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से गेट नं. 02 पर ही विभागाध्यक्ष तक उसे भेजने की व्यवस्था करेगा, जिससे आम जनता को COVID-19 के संक्रमण के खतरे से सभी प्रकार से बचाया जा सके।

ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(कृष्ण कुमार गुप्त)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ आफीसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी0) को सूचनार्थ प्रेषित। ACEO(W)-
3. विशेष कार्याधिकारी (एस0एस0/एस0के0) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त विभागाध्यक्षगण को अनुपालनार्थ।
5. गार्ड फाईल।

09.6.2020

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Scanned with CamScanner